परिपत्र संख्या– 38/2017

सुलखान सिंह,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।
1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001

दिनांक:लखनऊ:नवम्बर 3, 2017

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है एवं प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक उ0प्र0 भ्रमण करने आते हैं।

अतएव यह आवश्यक है कि उ0प्र0 पुलिस द्वारा पर्यटकों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इस विषय में कृपया निम्नानुसार कार्यवाही कराई जाए:–

1– ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण कर लिया जाये, जहॉ अधिक संख्या में पर्यटक भ्रमण करने आते हैं या ठहरते हैं।

2– चिन्हीकरण के उपरान्त उन क्षेत्रों में थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी एवं पी0आर0वी0 वाहन नियमित रूप से प्रतिदिन गश्त करें।

3– ऐसे स्थानों पर सादी वर्दी में पुलिस कर्मी ड्यूटी पर लगाए जाएं जो अराजक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखें एवं आवश्यकता पड़ने पर उनकी फोटोग्राफी भी करें। ऐसे तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु वर्दीधारी बल को सूचित किया जाए।

4– ऐसे स्थानों पर वर्दीधारी पुलिस बल भी तैनात किया जाए और इस हेतु ऐसे पुलिस कर्मी चिन्हित किए जाएं जिन्हें अंग्रेजी का काम चलाऊ ज्ञान हो। इस वर्दीधारी पुलिस बल द्वारा "पर्यटन पुलिस"/ "Tourist Police" की Arm band (T) धारण किया जाए।

5– पर्यटकों के आने वाले रेलवे स्टेशनों, होटलों, रेस्टोरन्टों, मॉलों व साइबर कैफे पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से लेकर थानाध्यक्ष स्तर के पुलिस अधिकारियों के मोबाइल नम्बर एवं पुलिस की विभिन्न हेल्पलाइन लिखवा दिये जायें, ताकि सम्भावित घटना की तत्काल सूचना प्राप्त हो सके और त्वरित कार्यवाही की जा सके।

6– पर्यटक स्थलों पर नियुक्त गाइड, फोटोग्राफर, होटल कर्मियों, टैक्सी चालकों, नाव वालों तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े अन्य व्यक्तियों का समय– समय पर भौतिक एवं चरित्र सत्यापन भी कराया जाये।

7– प्रमुख धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, घाटों, स्मरणीय स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये जायें।

8— पर्यटकों को यूपी—100, ट्विटर सेवा, ई—एफ0आई0आर0 जैसे विकल्पों के बारे में अवगत कराया जाये एवं आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल करने हेतु प्रेरित किया जाये।

9— महिला पर्यटकों के साथ छेड़छाड़ एवं बलात्कार आदि किसी भी घटना का तत्काल संज्ञान लेकर न केवल अभियोग पंजीकृत किया जाये, अपितु घटना में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए उन्हें निरूद्ध भी किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये

3/11/17

(सुलखान सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक (नाम से),
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1—समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2—समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

——